न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

राजस्व मूल वाद पत्र संख्या :– 128/2022

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
01.किशनलाल पुत्र मांगीलाल जी जाति भील 02.जीतूराम उर्फ जीतेन्द्र पुत्र आदूराम जी जाति भील निवासीगण ग्राम बोरानाडा तहसील झंवर जिला जोधपुर।		01.रामाराम पुत्र पोकरराम जी जाति भील 02.श्रवणराम पुत्र आदूराम जी जाति भील 03.गोदाराम पुत्र जेठाराम जी जाति भील निवासीगण ग्राम बोरानाडा तहसील झंवर जिला जोधपुर 04.सन्तोष पत्नि भलाराम जी जाति भील निवासी ग्राम जाटियासनी तहसील झंवर जिला जोधपुर 05.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार झंवर जोधपुर

दावा बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ।
उपस्थिति –

01.वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री हनूमान प्रजापति ।
02.प्रतिवादीगण संख्या तीन की ओर से अधिवक्ता महेन्द्र चौधरी।
03.प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 व 4 की ओर से अवतार सिह।

आदेश

दिनांक :– 06/02/2023

वादीगण द्वारा ग्राम बोरानाडा तहसील झंवर, जिला जोधपुर के खसरा संख्या 290 रकबा 4.5001 हैक्टर में बंटवाड़ा प्रस्ताव हेतु वाद पेश किया गया । इस वाद में दिनांक 18.01.2023 को आदेश जारी कर प्राथमिक डिकी जारी की गयी । उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार झंवर द्वारा जरिये कमांक/भू.अ./2023/1141 दिनांक 06.02.2023 को बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किया गया जो कि शामिल पत्रावली हैं । पत्रावली में बहस सुनी गयी । अधिवक्ता वादीगण ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार बंटवाड़ा आदेश जारी कर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बंटवाड़ा प्रस्ताव में दर्शाये गये मौके पर कब्जा अनुसार अलग अलग तरमीम दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया ।

वादीगण व प्रतिवादीगण के खसरा नम्बर 290 रकबा 4.5001 हैक्टर ग्राम बोरानाडा तहसील झंवर वादीगण एव प्रतिवादीगण का नाम सयुक्त खातेदारी मे दर्ज है तहसीलदार झंवर द्वारा प्रेषित बंटवाडा प्रस्ताव दिनांक 06.02.2023 मय मौका फर्द दिनाक 06.02.2023 को पेश की गई जिसके आधार पर वादीगण एव प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्ताव पेश किया जो सलग्न पत्रावली है इसके अनुसार। राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्सानुसार प्रस्तावित बटवाडा प्रस्ताव निम्ननुसार।
विभाजन प्रस्ताव निम्ननुसार :–

(अ)01.किशनलाल पुत्र मागीलाल का हिस्सा 220/547
02.जीतूराम उर्फ जितेन्द्र पुत्र आदूराम का हिस्सा 144/547
03.रामाराम पुत्र पोकरराम का हिस्सा 88/547
04.श्रवणराम पुत्र आदुराम का हिस्सा 46/547
05.संतोष पत्नि भल्लाराम का हिस्सा 49/547 जाति भील खातेदार

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
294	4.4251	बारानी प्रथम

(ब)01.गोदाराम पुत्र जेठाराम जाति भील सा देह खातेदार

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
294/1	0.0750	बारानी प्रथम

उक्त बटवाडा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया एव वादी व प्रतिवादीगण का बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिकी पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत बंटवाड प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार झंवर को आदेश दिया जाता है कि बंटवाडा प्रस्ताव मौका फर्द दिनांक 06.02.2023 के अनुसार विभाजन कर वादीगण एव प्रतिवादीगण का हिस्सा राजस्व रेकार्ड मे अलग से बटा नम्बर दर्ज कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करे तथा राजस्व नक्शे मे तरमीम इन्द्राज करे। बटवाडा प्रस्ताव दिनाक 06.2.2023 डिकी का अभिन्न अग समझा जावे डिकी पर्चा जारी हो तहसीलदार झंवर को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हों पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

Scanned by CamScanner

डिकरी बमुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी ।
पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–128/2022

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
01.किशनलाल पुत्र मांगीलाल जी जाति भील 02.जीतूराम उर्फ जीतेन्द्र पुत्र आदूराम जी जाति भील निवासीगण ग्राम बोरानाडा तहसील झंवर जिला जोधपुर।		01.रामाराम पुत्र पोकरराम जी जाति भील 02.श्रवणराम पुत्र आदूराम जी जाति भील 03.गोदाराम पुत्र जेठाराम जी जाति भील निवासीगण ग्राम बोरानाडा तहसील झंवर जिला जोधपुर 04.सन्तोष पत्नि भलाराम जी जाति भील निवासी ग्राम जाटियासनी तहसील झंवर जिला जोधपुर 05.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार झंवर जोधपुर

दावा बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, मुकद्दमा नं0 128/2022 यह आज मुकद्धमा वास्ते इनकिलास किलई रू–ब–रू हमारे बहाजरी वादी मिनजानिब मुददई व प्रतिवादी मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व डिगरी दी जाती हैं कि:–

अतः आदेश हैं कि वादीगण का वाद बंटवाड़ा प्रस्ताव की मौका फर्द दिनांक 06.02.2023 के अनुसार स्वीकार किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हिस्से अलग अलग दर्ज किये जाकर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने हेतु तहसीलदार झंवर को आदेश दिया जाता हैं ।

नीज...............................मुबलिक...बाबत्.................................. खर्चा इस मुकद्धमें के मय सूद व वगैरह.............. .... फीसदी सालाना आज की तारीख व तारीख वसुलयाबी तक .... को अदा करें ।

बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहम अदालत आज दिनांक 06/02/2023 को जारी की गयी ।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

मुद्दाई	रू.	मुद्दायलाह	रू
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प		स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प	
वकालतनामा		वकालतनामा	
स्टाम्प वजह सबूत		स्टाम्प वजह सबूत	
महनताना वकील		महनताना वकील	
खर्चा गवाहान		खर्चा गवाहान	
फीस कमिश्नर		फीस कमिश्नर	
बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	
मीजान		मीजान	

06/02/23

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

Scanned by CamScanner